(18)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

R 352-I/17

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

श्री ... द्वारा आज दि 30-1-17 को प्रस्तुत

30-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

30/01/17
(L.S. Dhawal)

बलवंत पुत्र स्व.मुलुआ (फोत) वारिसान

1. मानसिंह रावत
2. शिवनाथ रावत
3. मांगीलाल रावत
4. शिवदत्त रावत पुत्रगण स्व. श्री बलवंत सिंह
5. रामसनेही रावत
6. रूमाली रावत
7. सविता रावत पुत्रीगण स्व. श्री बलवंत सिंह
   निवासीगण– ग्राम उरहेरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

...............निगरानीकर्तागण

बनाम

चंदनसिंह पुत्र स्व.सामलिया (फोत)वारिसान

1. पूरनचंन्द्र रावत पुत्र स्वं चंन्दन सिंह निवासीगण– ग्राम उरहेरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)
2. रामहेती पुत्री स्वं चंन्दन सिंह निवासी–ग्राम कुल्होली, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना (म. प्र.)
3. लीला पुत्री स्वं चंन्दन सिंह पत्नी बदनसिंह रावत निवासी– ग्राम चिन्नौनी, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)
4. अनौखी पुत्री स्वं चंन्दन सिंह पत्नी जन्डेलसिंह निवासी– ग्राम बरोठा, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना (म.प्र.)
5. सरोज पुत्री स्वं चंन्दन सिंह पत्नी कंवरसिंह निवासी– बत्तोखर, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना (म.प्र.)

हाकिमसिंह पुत्र स्वं चंन्दन सिंह फोत)वारिसानः–

6. रामदुलारी पत्नी स्व.हाकिमसिंह
7. राजेश
8. शैलेन्द्र पुत्रगण स्व.हाकिमसिंह
   निवासीगण– ग्राम उरहेरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)
9. शशि पुत्री स्व.हाकिमसिंह पत्नी रोहितास निवासी– ग्राम खेरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना म.प्र.

मानसिंह

10. रेनू पुत्री स्व.हाकिमसिंह पत्नी पवन
निवासी– ग्राम जावदेश्वर, तहसील व जिला
श्योपुर म.प्र.

11. फोदलिया रावत पुत्री सामलिया

12. भगवंदे रावत पुत्री सामलिया

13. लौहरी रावत पुत्री सामलिया
निवासीगण– ग्राम उरहेरा, तहसील जौरा,
जिला मुरैना (म.प्र.)

14. कल्ला लावल्द फोत वारिसान पूरक
प्रतिनिगरानीकर्ता क. 7 राजेश

..............प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चंम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 244/14–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य–

1 यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 193 रकवा 7 वीधा 16 विस्वा, सर्वे क 198 रकवा 8 वीधा 6 विस्वा, सर्वे क. 248 रकवा 8 विस्वा, सर्वे क. 330 एवं 331 रकवा 2 वीधा 9 विस्वा, सर्वे क. 333 रकवा 2 वीधा 13 विस्वा कुल किता 6 कुल रकवा 21 वीधा 12 विस्वा जों ग्राम उरहेरा, रा. नि. न. जौरा जिला मरैना मे स्थित है। उक्त भूमि सामलिया व मलुआ के स्वत्व स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है। भूमि स्वामी सामलिया व मलुआ के मध्य लगभग 60 वर्ष पूर्व घरू बटवारा बताते हुये सर्वे क्रमांक 193 रकवा 7 वीधा 16 विस्वा में सें रकवा 5 वीधा, सर्वे क 198 रकवा 8 वीधा 6 विस्वा में से 5 वीधा, सर्वे क. 333 रकवा 2 वीधा 13 विस्वा सम्पूर्ण तथा सर्वे क. 248 रकवा 8 विस्वा में से 4 विस्वा इस प्रकार कुल 12 वीधा 17 विस्वा प्रति निग. के पिता सामलिया को तथां सर्वे क 198 रकवा 3 वीधा 6 विस्वा, सर्वे क. 248 रकवा 4 विस्वा, सर्वे क. 330 एवं 331 रकवा 2 वीधा 9 विस्वा इस प्रकार कुल रकवा 8 वीधा 15 विस्वा भूमि निगरानीकर्तागण के पिता मुलुआ को बटवारे में मिलना तथा इसी बटवारे के अनसार मौके पर काबिज होना बताया हैं।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-352-एक/17 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/01/19	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 244/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम उरहेरा तह0 जौरा जिला मुरैना स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 193 रकवा 07 बीघा 16 विस्वा, सर्वे क्रमांक 198 रकवा 08 बीघा 06 विस्वा, सर्वे क्रमांक 248 रकवा 08 विस्वा, सर्वे क्रमांक 330 एवं 331 रकवा 02 बीघा 09 विस्वा, सर्वे क्रमांक 333 रकवा 02 बीघा 13 विस्वा कुल किता 06 कुल रकवा 21 बीघा 12 विस्वा के संबंध में अनावेदकगण के पिता द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक व्यवहारवाद दीवानी न्यायालय जौरा के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्र. 107/73 ए.ई.दी. में पारित निर्णय दिनांक 15.02.77 को निर्णीत हुआ। अनावेदकगण द्वारा उक्त डिक्री का अमल पटवारी अभिलेख में कराये जाने हेतु तहसीलदार जौरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 06.09.2013 द्वारा उक्त डिक्री का अमल राजस्व अभिलेखों में कराये जाने का आदेश दिया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, जो उनके आदेश दिनांक 14.07.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 25.01.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध	

3

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।	

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदकगण द्वारा सन् 1977 में हुई डिक्री जिसके निष्पादन की अवधि 12 वर्ष निकलने के बाद एक आवेदन-पत्र तहसील न्यायालय जौरा के समक्ष पालन बावत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें निगरानीकर्तागण द्वारा आपत्ति ली गई थी कि घरू बंटवारे के अनुसार न्यायालय द्वारा जो डिक्री दी गई है उसके निष्पादन की अवधि 12 वर्ष होती है, जो निकल चुकी है, क्योंकि डिक्री हुए 35 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, इसलिए अब डिक्री के पालन में कोई अमल कागज में नहीं कराया जा सकता। तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अवधि वाहय एवं निराधार होकर निरस्त किया जावे।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि व्यवहार न्यायालय की डिक्री हुए 34 वर्ष हो चुके हैं, किंतु 34 वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं की गई। व्यवहार न्यायालय के किसी भी निर्णय का पालन करने के लिए अवधि निर्धारित है, इस हेतु पृथक से परिसीमा अधिनियम कानून बना हुआ है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 में स्पष्ट किया गया है कि सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के पालन के लिए अधिकतम 12 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित है। किंतु तहसील न्यायालय द्वारा बिना विचार किए आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में कोई गलती नहीं की।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में सभी बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया गया था। जिसमें तहसील न्यायालय के आलोच्य व अवैध आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार करने में कोई अवैधानिकता नहीं की, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किए बिना ही अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है जो निरस्त् किए जाने योग्य है।

4. अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रकरण में सिविल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-352-एक/17 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री का निष्पादन नहीं होना है अर्थात डिक्री के आधार पर विभाजन की कार्यवाही नहीं होना है अपितु सिविल न्यायालय के प्रकरण क्र. 107/72 में पूर्व के मौखिक विभाजन से प्राप्त कृषि भूमियों पर बंटवारे से प्राप्त स्वत्वों को पुष्ट किया गया अर्थात सिविल न्यायालय द्वारा पूर्व में घरेलू बंटवारे से प्राप्त स्वत्वों के पुष्ट होने की घोषणा की गई न कि बंटवारे की डिक्री पारित की। ऐसी स्थिति में विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि घोषणात्मक डिक्री का पालन करना अनिवार्य है और घोषणात्मक डिक्री कभी भी प्रभावहीन नहीं होती है। उक्त संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत रहमान खां बनाम राजस्व मण्डल 1985 एम.पी.आर.एन. पेज 178 का हवाला दिया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा मनमाने तौर पर आर्टीकल 136 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की है जो कानून सम्मत न होने से मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 136 परिसीमा अधिनियम में यह सपष्ट प्रावधान है कि धन का संदाय या संपत्ति का परिदान करने संबंधी सिविल न्यायालय की डिक्री की निष्पादन की सीमा 12 वर्ष है किंतु उक्त प्रकरण में ना तो संपत्ति का परिदान होता है और ना ही धन का संदाय होता है अपितु प्रकरण में मात्र दीवानी न्यायालय की घोषणात्मक शाश्वत डिक्री का इन्द्राज राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी में हुआ है और दीवानी न्यायालय की डिक्री दिनांक 15.02.77 आज दिनांक तक प्रभावशील है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा घोषणात्मक डिक्री का अमल राजस्व अभिलेख में हुआ है, ना कि तहसीलदार द्वारा बंटवारा किया गया है। इस संबंध में विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि सिविल न्यायालय की घोषणात्मक डिक्री के अनुपालन में नामांतरण आदेश	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पारित किया गया और ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय की डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकर है। उक्त संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत केशव सिंह बनाम कुम्हेर सिंह 2016(1) एम.पी.आर.एन. पेज 350 का हवाला दिया गया है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिक्री के संबंध में विधिक स्थिति के अनुरूप आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योकि विधिक सिद्धांत यह है कि सिविल न्यायालय द्वारा हक की घोषणा, राजस्व अभिलेख में शुद्ध किया जाना चाहिए, पक्षकार को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उक्त संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत शिखरचंद बनाम सत्तार खां 1995 एम.पी.आर.एन. पेज 27 का हवाला दिया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण धारा व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के आधार पर नामांतरण का है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 न्यायालय की डिक्री को अपर सत्र न्यायाधीश एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा यथावत रखा गया है, जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है। चूंकि सिविल न्यायालय की डिक्री को अन्य किसी आदेश के द्वारा परिवर्तित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण का आदेश उचित एवं वैधानिक है। सिविल न्यायालय की डिक्री को अमान्य करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के आदेश को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि चूंकि सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायसंगत है जिसमें हसतक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-352-एक/17 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	